

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./स्था.पद./पार्ट-2/2018/3589 जयपुर,दिनांक: 2.8.18

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 2441 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री मगनलाल जोशी एवं श्री कैलाश पालीवाल, पंचायत प्रसार अधिकारियों के किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पुनः श्री मगनलाल जोशी को पं.स. फलौदी (जोधपुर) एवं श्री कैलाश पालीवाल को पं.स. जैसलमेर में पस्थापित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

आज्ञा से,



(मोहम्मद अबूबक्र)

उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर जोधपुर, जैसलमेर
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर, जैसलमेर
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति फलौदी (जोधपुर), जैसलमेर
7. आदेश में वर्णित पंचायत प्रसार अधिकारियों को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली



उप सचिव एवं उपायुक्त